LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Friday, 22 November, 2019/ 01 Agrahayana, 1941(Shaka)

No. 162

ADVISORY

It is reiterated that all Hon'ble Members are requested to use vehicles with the parking label issued to them by Delhi Legislative Assembly from 24.11.2019 to 03.12.2019 on account of 10th Commonwealth Youth Parliament and Delhi Vidhan Sabha Session.

Further, any private vehicles not bearing the Parking Label/MLA Sticker issued by Delhi Legislative Assembly shall not be allowed entry in the Assembly premises for the said period.

All Hon'ble Members are solicited to kindly adhere to this Advisory and co-operate with the Security Personnel in checking of their vehicles and frisking of accompanying guests, if any.

C. Velmurugan Secretary

विधान सभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली समाचार भाग –2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) शूक्रवार, 22 नवम्बर, 2019 / 01 अगहन , 1941 (शक)

संख्या : 162

परामर्श

यह दोहराया जाता है कि सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे 24.11.2019 से 03.12. 2019 तक की अवधि में दसवीं राष्ट्रमंडल युवा संसद और दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान केवल दिल्ली विधानसभा द्वारा उन्हें जारी किए गए पार्किंग लेबल वाले वाहनों का उपयोग करें।

इसके अलावा, दिल्ली विधानसभा द्वारा जारी किए गए पार्किंग लेबल / एम.एल.ए लेबल के बिना किसी भी निजी वाहन को उक्त अविध के लिए विधानसभा परिसर में प्रवेश की अनुमित नहीं दी जाएगी।

सभी माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि वे उक्त परामर्श का पालन करें तथा वाहनों एवं साथ आए अतिथियों, यदि कोई हों, की जाँच में सुरक्षा कार्मिकों को सहयोग करें ।

> सी. वेलमुरूगन सचिव